

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक:-एफ.17(ई)पंचावि/प्रशा-2/ग्रासे/2014/2088

जयपुर,दिनांक : 13/06/19

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त।

विषय :- ग्राम विकास अधिकारी के चार्ज के संबंध में।

ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास अधिकारी के पद रिक्त होने की स्थिति में अतिरिक्त प्रभार दिये जाने के संबंध में जारी किये गये परिपत्र दिनांक 05.10.2018 के विरुद्ध कतिपय प्रकरणों में माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया गया है।

अतः इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास अधिकारी के अतिरिक्त प्रभार के संबंध में जिन प्रकरणों में स्थगन प्राप्त किया गया है, वहाँ पर ग्राम विकास अधिकारी का पदस्थापन कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें ताकि अतिरिक्त प्रभार से संबंधित विवाद समाप्त हो सके।

~~शासन सचिव एवं आयुक्त~~

प्रतिलिपि : विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संयुक्त आयुक्त एवं
संयुक्त सचिव